(3)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 153/2025 | दायर दिनांकः 20.08.2025

उनवान

1. जगदीश पिता बंशीलाल जाति मीणा नि. पिडावा तहसील पिडावा
2. जशोदा बाई पत्नी बंशीलाल जाति मीणा नि. पिडावा तहसील पिडावा
3. राजू पि. बंशीलाल जाति मीणा नि. पिडावा तहसील पिडावा

—प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील पिडावा

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति अभिभाषकगण :—

अभिभाषक प्रार्थी — श्री प्रेमचन्द चौधरी

अप्राथी सं. 1 — पैरोकार सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़

आदेश

दिनांक : 29.05.2026

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम पिडावा तहसील पिडावा भू.अ. नि.क्षे. पिडावा जिला झालावाड राज में स्थित आराजी खाता संख्या 338 पुराना 315 के खसरा नम्बर 1944/81 रकबा 0.1391 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1945/83 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1946/93 रकबा 0.1518 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1948/171 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1939/172 रकबा 0.0759 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1950/179 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1961/185 रकबा 0.0379 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1952/194 रकबा 0.0506 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1953/195 रकबा 0.0506 हैक्टेयर कुल किता 09 कुल रकबा 0.7462 हेक्टेयर प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की आराजी स्थित है। (नकल जमबान्दी संवत् 2074—2077 संलग्न है।) यह कि वाद प्रार्थना पत्र के चरण क्रमांक 01 में वर्णित आराजी में दर्ज खसरा नम्बर 1950/179 रकबा 0.0126 हैक्टेयर को वादग्रस्त आराजीयात के

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(4)

नाम सम्बोधित किया गया है। यह कि ग्राम पिडावा तहसील पिडावा भू.अ.नि.क्षे. पिडावा जिला झालावाड राज. में स्थित खाता संख्या नया 545 पुराना 495 के ख.नं. 2052/179 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0126 हैक्टेयर आराजी प्रार्थी संख्या 02 जसोदा बाई पत्नी बंशीलाल जाति मीणा द्वारा कय की गई आराजी स्थित है। (नकल बयनामा रजिस्ट्री संलग्न है। यह कि प्रार्थना पत्र के चरण कमांक 02 व 03 में दर्ज आराजीयात पुर्व में संयुक्त खातेदारी से बंटवारा से प्राप्त अलग अलग विभाजीत आराजी रही है। लेकिन राजस्व कर्मचारीयों द्वारा वक्त बंटवारा मौके पर स्थित कब्जे के नक्शे में गलत इन्द्रात की गई है। जिसका शुद्धीकरण कराने का अधिकारी प्रार्थीगणों को प्राप्त होने से हो रही राजस्व कर्मचारीयों द्वारा दर्ज त्रुटी को मौके पर कब्जे अनुसार नक्शे में शुद्धीकरण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। यह कि वक्त सेमीग्रेशन के ऑनलाईन नक्शे में पटवारी हल्का के नक्शा लठ्ठा के अनुरूप तरमीम में होकर अलग स्थान पर उक्त प्रार्थना पत्र चरण कमांक 02 व 03 में वर्णित आराजी तरमीम हो गई है जो गलत है। अशुद्ध है शुद्ध किये जाने योग्य है। यह कि प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर अन्दर अवधि मध्य माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार का होने से प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 02 व 03 में वर्णित खसरा नम्बर 1950/179 एवम खसरा नम्बर 2052/179 आराजी की पटवार हल्का नक्शा लठ्ठा में जिस स्थान पर तरमीम हो रही है एवम मौके स्थिति के अनुसार उसी के अनुरूप ऑन लाईन नक्शे मे भी तरमीम शुद्धी किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकार सरकार अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र चरण कमांक 1 में वर्णित आराजियात मुताबिक राजस्व रिकार्ड के अनुसार स्वीकार है। यह कि प्रार्थना प्रत्र चरण कमाक 2 में वर्णित कथन प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जाना स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र के चरण कमाक 3 में

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(5)

वर्णित कथन खसरा नम्बर 2052/179 कुल किता 1 कुल रकबा 0.0126 हैक्टयर आराजी प्रार्थी जसौदाबाई पत्नी बंशीलाल जाति मीणा द्वारा दिनांक 05.04.2022 उपंपजियक पिडावा द्वारा पंजीकृत बयनामा के प्राप्त आराजी स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र के चरण कमांक 4 में वर्णित तथ्य मुताबिक प्राप्त पटवारी रिर्पोट एवं राजस्व रेकार्ड के सही होता प्रतित होने से स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र के चरण कमांक 5 में वर्णित तथ्य मुताबिक हल्का पटवारी रिर्पोट एवं प्राप्त रिर्पोट के नजरी नक्शा के अनुसार स्पष्ट है कि वक्त सेंग्रीकेशन त्रुटी हुई है। जिसे पटवारी रिर्पोट मय नजरी नक्शा के अवलोकन अनुसार शुद्धीकरण किया जाना उचित है। यह कि प्रार्थना पत्र के चरण कमांक 6 में वर्णित तथ्य वादग्रस्त आराजी तहसील पिडावा में स्थित होने से माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार होना स्वीकार है उचित न्याय शुल्क अन्दर अवधि पेश होना कानुनी है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में चाह गया अनुतीष खसरा 1950/179 एवं 2052/179 वर्तमान लटठा नक्शा एवं प्राप्त हल्का पटवारी रिर्पोट के ऑनलाईन कम्प्यूटर में हो रही त्रुटि अशुद्धी शुद्धीकरण किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थना पत्र का जबाब अप्रार्थी राजस्थान सरकार पैरोकार तहसीलदार पिडावा की और से प्रस्तुत कर राजस्व रेकार्ड में खसरा न० 1950/179 एवं 2052/179 प्राप्त हल्का पटवारी की रिर्पोट मय नजरी नक्शा संलग्न के आधार पर शुद्धीकरण किये जाने के आदेश हेतु माननीय न्यायालय में उचित आदेश हेतु प्रेषित है।

3. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम पिडावा की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 338, 545, लटठा नक्शा ट्रेस दिनांक 20.08.2025, रजिस्टर्ड बेचान पत्र दिनांक 05.04.2022, खसरा नक्शा दिनांक 28.10.2025 एवं वादग्रस्त भूमि के फोटोग्राफस मय हस्ताक्षर पेश किये गये।

4. पेरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब के समर्थन में पटवारी हल्का पिडावा की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा, रजिस्टर्ड बेचान पत्र दिनांक 05.04.2022 पेश किया। तहसीलदार पिडावा से वादग्रस्त आराजी मूल ख.नं. 179 के लटठा

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(6)

नक्शा में तरमीम की स्थिति, आनलाईन नक्शे में सेग्रिगेशन के दौरान की गई तरमीम के आदेश/दस्तावेज की प्रतिलिपी, मौके पर कब्जे काश्त की स्थिति आदि की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार पिडावा द्वारा अपने पत्रांक राजस्व/2026/1218 दिनांक 22.05.2026 से राजस्व रिकार्ड की वस्तु स्थिति व मौका रिपोट्र पेश की गई।

5. अभिभाषक प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पिडावा के मूल ख.नं. 179 सम्पूर्ण पर वर्षो से पहले प्रार्थीगण के पिता बंशीलाल का और उनकी मृत्यु के बाद वादीगण का लगातार व शांतीपूर्ण कब्जा काश्त चला आ रहा है। मूल ख.नं. 179 के कोटडी बायपास से लगवा 0–02 बीघा हिस्से पर प्रार्थीगण वर्षो से पक्का मकान बनाकर स्थाई रूप से निवासरत है। मूल ख.नं. 179 व अन्य कई खसरा नं. का इस न्यायालय द्वारा अपने आदेश व फाईनल डिक्री दिनांक 11.02.2009 से विधि विरूद्ध आदेश जारी कर कब्जे काश्त के बजाय अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर पांचो सहखातेदारो के मध्य खाता विभाजन होकर भूमि पृथक पृथक खाते दर्ज हुई थी जिसमें मूल ख.नं. 179 रकबा 0–10 बीघा में से रोड़ के लगवा 0–02 बीघा भूमि प्रार्थीगण के खाते दर्ज हुई थी जिसके हाल ख.नं. 1950/179 व 2052/179 है। उक्त बंटवारा डिक्री की पालना में तहसील के राजस्व कार्मिको द्वारा जमाबंदी में तो भूमि पृथक पृथक खाते दर्ज कर दी गई थी लेकिन लटठा नक्शा में बंटवारा डिक्री की पालना में आज दिनांक तक तरमीम नहीं की गई है। आगे तर्क किया कि वर्ष 2019 में तहसील पिडावा के सेगिगेशन कार्य के दौरान तत्कालीन राजस्व कार्मिको द्वारा लटठा नक्शा में कोई तरमीम दर्ज नहीं होने के बावजूद भी मौके पर कब्जे काश्त की स्थिति का निरीक्षण किये बिना, एवं सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बिना मन माने तरीके से तहसील में बैठे बैठे मूल ख.नं. 179 में गलत तरीके से पांच तरमीमे करते हुए कोटडी बायपास सडक से लगवा प्रार्थीगण के हिस्से व मकान की तरमीम बीच भाग में कर दी गई जबकि प्रार्थीगण के कब्जे व मकान की जगह

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

हाल ख.नं. 179 की तरमीम व इसके बाद हाल ख.नं. 1950/179 की तरमीम कर दी गई। **तहसीलदार पिडावा द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 26.09.2025 एवं मौका व वस्तु स्थिति रिपोर्ट दिनांक 22.05.2026 में स्वयं स्वीकार किया है किमूल लटठा नक्शा में कोई तरमीम नहीं हो रखी है और सेग्रिगेश्शन के दौरान आनलाईन नक्शे में तत्कालीन पटवारी री केशव मालव द्वारा बिना किसी आदेश के तरमीमे की गई थी।** माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा इपने विभिन्न निर्णयो में यह प्रतिपादित किया है कि तहसीलो के सेग्रिगेशन के दौरान आनलाईन नक्शे में तहसीलदार या अन्य राजस्व कार्मिको को सक्षम न्यायालय के आदेश या रजिस्टर्ड दस्तावेज के बिना मूल लटठा नक्शा से भिन्न तरमीमें करने का कोई अधिकार नहीं है। राजस्व विभाग जयपुर एवं राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा विभिन्न परिपत्र जारी करके सेग्रिगेशन के दौरान राजस्व रिकार्ड या नक्शे में हुई त्रुटियों को दुरूस्त करने का अधिकार अन्तर्गत धारा 131, 136 एलआरएक्ट उपखण्ड अधिकारी को दिया गया है।

अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा आगे तर्क किया गया कि प्रार्थीगण के राजस्व नक्शे में तहसीलदार द्वारा बिना किसी न्यायालय के आदेश या रजिस्टर्ड दस्तावेज के विधि विरूद्ध रूप से तरमीम कर प्रार्थीगण के हक व अधिकारो का हनन किया है और इसिलिए तहसीलदार पिडावा को भी प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंटवारे में प्राप्त हिस्से की तहसीलदार द्वारा की गई गलत तरमीम को लटठा नक्शा के अनुसार या मौके पर कब्जे/मकान के आधार पर दुरूस्त की जावे।

6. पैरोकार सरकार द्वारा उपस्थित होकर अपनी बहस में जवाब के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थी के अनुतोष पर सहमति व्यक्त की और कथन किया कि मूल ख.नं. 179 के लटठा नक्शे में आज दिनांक तक कोई तरमीम नहीं हो रखी है जबकि इस न्यायालय की बंटवारा डिक्री दिनांक 11.02.2009 की पालना में पांच टुकडे होकर पांच तरमीमे होनी चाहिये थी। आगे तर्क किया कि सेग्रिगेशन के दौरान आनलाईन नक्शे में तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के अपने हिसाब से तरमीम कर दी गई थी।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(8)

तरमीम करने का कोई भी आदेश तहसील कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। आगे कथन किया कि हाल ख.नं. 179 जो कि कोटडी बायपास से लगवा है पर प्रार्थीगण द्वारा कई वर्षो से मकान बनाकर स्थाई रूप से निवास किया जा रहा है। मूल ख.नं. 179 के शेष हिस्से पर भी प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर काई आपत्ति नहीं है।

7. अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा पेश ग्राम पिडावा के नाा.सं. 1212 दिनांक 16.04.2009 के अवलोकन से जाहिर है कि मूल ख.नं. 179 रकबा 0–10 बीघा का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा की बंटवार डिक्री दिनांक 11.02.2009 की पालना में पांच टुकडे/हिस्से किये गये। प्रार्थी व अप्रार्थीगण द्वारा पेश ग्राम पिडावा के मूल ख.नं. 179 के लटठा नक्शा की नकल दिनांक 11.05.2026 व 20.08.2025 के अनुसार लटठा नक्शा में आज दिनांक तक उक्त डिक्री की पालना में कोई तरमीम नहीं की गई है। लटठा नक्शा में आज भी मूल ख.नं. 179 यथावत है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सरकार द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वर्ष 2019–20 में तहसील के सेग्रिगेशन के दौरान आनलाईन नक्शा तैयार करते समय पिडावा के ततकालीन राजस्व कार्मिको द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश या मौका निरीक्षण के आनलाईन नक्शे में अनुमान से तरमीम कर दी गई थी। **तहसीलदार या उसके अधिनस्थ किसी भी राजस्व कार्मिक को बिना किसी सक्षम अधिकारी या न्यायालय के आदेश के या रजिस्टर्ड दस्तावेज के किसी राजस्व ग्राम के नक्शे या फिल्ड बुक में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है।**

8. माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने विभिन्न निर्णयो में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में सक्षम अधिकारी/न्यायालय के आदेश या रजिस्टर्ड दस्तावेज के बिना राजस्व कार्मिक कोई परिवर्तन नहीं कर सकते है। **धारा 131 एलआरएक्ट के प्रावधानो के अनुसार सर्वे एवं रिकार्ड आपरेशन का कार्य समाप्त होने के बाद किसी राजस्व**

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम के मैप व फिल्ड बुक की सीमाओ में केवल लैण्ड रिकार्ड आफिसर जिसमें अतिरिक्त या सहायक लैण्ड रिकार्ड आफिसर भी शामिल है– के द्वारा ही कोई परिवर्तन किया जा सकता है या किसी त्रुटी को दुरूस्त किया जा सकता है।

9. अभिभाषक प्रार्थीगण का कथन है कि राजस्व नक्शे में यह त्रुटी राजस्व कार्मिको द्वारा तहसील को आनलाईन करते समय सेग्रिगेशन के दौरान हुई है। राजस्व कार्मिको द्वारा लापरवाही पूर्वक प्रार्थीगण को सुने बिना एवं मौका निरीक्षण किये बिना की गई गलती की सजा प्रार्थीगण को दिया जाना न्यायोचित नहीं है। पेरोकार सरकार तहसीलदार पिडावा ने भी स्वीकार किया है कि वर्तमान नक्शा में सेग्रिगेशन की तरमीम प्रार्थीगण के मौके पर बने मकान व कब्जा से भिन्न है। अतः राजस्व रिकार्ड में सेग्रिगेशन के समय राजस्व कार्मिको द्वारा नियम विरूद्ध एवं गलत अंकन किया गया जो दुरूस्ति योग्य है।

10. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128, 131, व 136 के अनुसार भू–सर्वे एवं रिकार्ड ऑपेरेशन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद नक्शे एवं फिल्ड बुक में किसी गांव या गांव के हिस्से की सीमाओं, ऐस्टेट या फिल्ड/खसरे की सीमाओं में ज्ञात होने वाली किसी त्रृटि को या राजस्व रिकार्ड के निरीक्षण के दौरान ज्ञात किसी भी प्रकार की त्रृटि को लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत दुरूस्त किया जाता सकता है और ऐसे प्रत्येक परिवर्तन का इन्द्राज वार्षिक रजिस्टर में किया जावेगा। राजस्व रिकार्ड में भू प्रबन्धन एवं सर्वे की कार्यवाही के दौरान, सेग्रीगेशन के दौरान, नामा0 तस्दीक करते समय, फर्द–बदर/चौसाला तैयार करते समय राजस्व कार्मिकों द्वारा मूल प्रविष्टि में की गई लिपिकीय त्रृटि या रेकार्ड के निरीक्षण के दौरान भू अभिलेख अधिकारी को ज्ञात त्रृटि को धारा 136 एलआरएक्ट के अधीन भू अभिलेख अधिकारी द्वारा दुरूस्त किया जा सकता है। धारा 131 एलआरएक्ट के प्रावधान निम्नानुसार है :–

131. Maintenance of Map and Field Book – After the survey and record operations are over, the map and the field book shall be maintained by the

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

10

Land Records Officer, in accordance with the rules made by the State Government in that behalf and he shall cause, annually or at such longer intervals as the State Government may prescribe, to be recorded therein all changes in the boundaries of each village or portion of a village, estate or field and shall correct any errors which are shown to have been made in such map or field book.

11. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम पिडावा तहसील पिडावा की कृषि आराजी ख.नं. 1950/179 एवं ख.नं. 2052/179 के संबंध में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

12. परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल. आर.एक्ट बावत दुरूस्ती तरमीम स्वीकार किया जाता है। ग्राम पिडावा तहसील पिडावा की कृषि आराजी हाल ख.नं. 1950/179 एवं ख.नं. 2052/179 के राजस्व नक्शे में तहसीलदार पिडावा द्वारा पेश मौका रिपोर्ट कमांक 913 दिनांक 26.09.2025, हल्का पटवारी रिपोर्ट दिनांक 11.09.2025 व 11.05.2026 एवं मौके पर कब्जे/मकान को ध्यान में रखते हुए कोटडी बायपास के लगवा भाग पर तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व नक्शा में दुरूस्ती करे।

यह निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/05/26

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner